न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठुमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 12/6/2024

जीसीएमएस– 2024/399

दायर दिनांक– 08.07.2024

निर्णय दिनांक– 07.02.2025

1. श्रीमती केशन्ता पुत्री गिर्राज सिंह जाति जाट निवासी खैडामैदा तहसील कठूमर, अलवर।

....अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत तिगरिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तिगरिया पंचायत समिति कठूमर, अलवर।

— असल रेस्पोडेंन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22.07.2019 विरासत इन्तकाल संख्या 1582 ग्राम खैडामैदा ग्रा. पं. खैडामैदा कठूमर अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–1.श्री भवानी शंकर शर्मा, अधिवक्ता अपीलाण्ट

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 289, 292, 293, 297, 137, 137/1290, 150, 290, 294, 298, 299, 309, 952, 959, 970, 971, 251, 252, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 908, 909, 913, 914, 915, 916, 917, 375 वाके ग्राम खैडामैदा, ग्राम पंचायत खैडामैदा तहसील कठूमर में स्थित है,जो अपीलाण्ट केशन्ता की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। अपीलाण्ट के पिता गिर्राजसिंह के स्वर्गवास के वाद पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट के वारिस के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक किया है, जबकि मृतक गिर्राज के वारिसानो की पहचान के दस्तावेज लिये ही मनमाने तरीके से अपीलाण्टस का नाम केशन्ता चौधरी के स्थान पर केसन्ती अंकित कर स्वीकार किया गया है तो गलत है, उक्त इन्तकाल संख्या 1582 दिनांक 22.07.2019 खिलाफ कानून विधि विरूद्व तरीके से केशन्ती अंकित कर दिया है। जिस गलत नाम के इन्तकाल को एवं कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 1582 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.07.2019 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 1582 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 22.07.2019 से दिनांक 01.02.2024 तक की देरी कण्डोन किये जाने

का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 1582 दिनांक 28.06.2019 वाके खेडामैदा ग्राम पंचायत खेडामैदा तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपीलाण्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 1582 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.07.2024 को पटवारी हल्का के पास केडिट कार्ड की फाईल बनवाये जाने के दौरान एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 1582 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील मे देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टंर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट दिनांक 10.01.2025 को वाबजूद सूचना के अनुपस्थित आये जिनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई।

अपीलाण्ट अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम हमें उक्त इन्तकाल संख्या 1582 के बारे में जानकारी दिनांक 01.07.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 1852 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि मृतक गिर्राज के वारिसानो की जॉच किये विना ही अपीलान्ट का नाम केशन्ता चौधरी के स्थान पर केशन्ती अंकित कर दिया है। इस वजह से उक्त इन्तकाल संख्या 1852 दिनांक 22.07.20219 खिलाफ कानून विधि विरूद्व तरीके से गलत नाम तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 1852 दिनांक 22.07.2019 वाके खेडामैदा ग्राम पंचायत खेडामैदा तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने अपीलाण्ट अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

–::आदेश::–

अतः अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत खेडामैदा द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 1852 दिनांक 22.07.2019 वाके ग्राम खेडामैदा ग्राम पंचायत खेडामैदा को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह

नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

	... उप० नहीं अर्जी अनुपस्थिति दर्ज की जाती है। पत्रावली पर बहस अपीलार्थी हेतु वास्ते आदेश दिनांक 20/1/25 को पेश हो। SDM
20/1/25	वकील अपीलार्थी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक .... की पालना में पत्रा. पेश वास्ते आदेश दिनांक 30/1/25 को पेश हो। समय अभाव के कारण आदेश नहीं लिखा जा [illegible] उपखण्ड अधिकारी [illegible]
30/1/25	वकील अपीलार्थी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक .... की पालना में पत्रा. पेश वास्ते आदेश दिनांक 7/4/25 समय अभाव के कारण नहीं लिखा [illegible]
7/4/25	वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील अपीलार्थी [illegible] होने के कारण [illegible] तहसीलदार से [illegible] रिपोर्ट की जाती है। पुनः [illegible] निर्णय पारित कर पत्रावली पर [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] होकर [illegible] SDM